

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2014

जयपुर, दिनांक :

26 MAR 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग दर्ज किये जाने के संबंध में।


संदर्भ:- विभागीय पत्रांक एफ1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013 दिनांक 21.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से यह ज्ञात हुआ है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग पूर्ण रूप से दर्ज नहीं की जा रही है। वैबसाइट पर उपलब्ध सूचना से भी यह आभास होता है कि वास्तव में रोजगार की वास्तविक मांग दर्ज नहीं हो पा रही है। आज दिनांक की स्थिति के अनुसार राज्य में 4348 ग्राम पंचायतों में ही अकुशल श्रमिकों का नियोजन किया गया है जबकि राज्य में आकस्मिक ओला वृष्टि के कारण कृषि को काफी नुकसान हुआ है एवं कृषि क्षेत्र में रोजगार में कमी हुई है।

अतः इस संबंध में कृपया Field functionaries को sensitise किये जाने का श्रम करावे, ताकि योजना के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करते हुए वास्तविक मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।


भवदीय


(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/ बाड़मेर।
3. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।


परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस